संख्या- 54/2026/1264152/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/10/2026

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,

उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2026**

विषय:मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रेच निर्माण एवं क्रेच में अन्य कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-352/इन्फ्रा सेल (एस सी) दिनांक 20.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रेच निर्माण एवं क्रेच में अन्य कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रेच निर्माण एवं क्रेच में अन्य कार्य हेतु अनुमोदित लागत धनराशि रू0 76.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 76.88 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रूपये छिहत्तर लाख अठ्ठासी हज़ार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं0 3 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को उपलब्ध कराने हेतु महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत किया जा रहा है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद/कार्य में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग यथासमय अवश्य कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 54/2026/1264152 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
8- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- अधीशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं0 3 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
10-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
11-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
12-गार्डबुक।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार सिंह-II
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।